विदेशी मुद्रा गतिविधियां

अगस्त 2009

i) मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन

सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान, 09 मार्च ,2009 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.57 (ए.पी.(एफएल सिरीज़) परिपत्र सं.04) के द्वारा जारी मुद्रा परिवर्तन के कार्यकलाप नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन के अनुबंध -1 के पैराग्राफ (इ) 4 के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I/श्रेणी-II/पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए, अपने ग्राहकों / फ्रेंचाइजी के संबंध में जांच-पड़ताल करते समय स्थानीय पुलिस से आचरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने सहित कतिपय दस्तावेज प्राप्त करना अपेक्षित है ।

2. यह बात रिज़र्व बैंक की जानकारी में लायी गई है कि प्राधिकृत व्यक्तियों को जो कि निगमित कंपनियां है, स्थानीय पुलिस से एजेंटों / फ्रेंचाइजियों के संबंध में आचरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तद्नुसार, मौजूदा इस अपेक्षा की समीक्षा की गई और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I/श्रेणी-II/पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अपने ग्राहकों / फ्रेंचाइजी से स्थानीय पुलिस द्वारा जारी आचरण प्रमाणपत्र के बदले संगठन के अंतर्नियमों और निगमन प्रमाणपत्र की फोटो प्रतियां स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई है। उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध-1 के पैराग्राफ (इ) 4 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। तद्नुसार, कॉरपोरेट फ्रेंचाइजी के लिए परिपत्र के अनुबंध-IV में दिये हुए फॉर्म आरएमसी-एफ की मद सं. 6 को समुचित रूप से संशोधित किया जा सकता है ।

ए पी (डीआइआर सिरीज़)
परिपत्र सं. 06 दिनांक 03 अगस्त,2009
ए.पी. (एफएल/आरएल सिरीज़) परिपत्र सं.01

ii) एक्जिम बैंक की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार को 17.34 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार के साथ लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में वॉटर एण्ड पॉवर कंसलटंसी सर्विसेज (डल्ल्यूएपीसीओएस) (इंडिया) लि. द्वारा चैमसाक प्रांत में निष्पादित की जानेवाली सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए इनपुट के संबंध में भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 17.34 मिलियन अमरीकी डॉलर (सत्रह मिलियन तीन सौ चालीस हजार अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 20 फरवरी 2009 को एक करार किया है ।

ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.
07 दिनांक 18 अगस्त 2009